RAJASTHAN STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY,

RAJASTHAN HIGH COURT CAMPUS, JAIPUR BENCH, JAIPUR
(Phone: 0141-2227481, 2227555, FAX: 2227602, Help line No.2385877)

No. F-2 (02)/RSLSA/DS-I/Format/2016/ 02 Date: -30.08.2017

CIRCULAR REGARDING PROVIDING FREE LEGAL AID TO THE PERSONS IN CUSTODY

In continuation to previous Circular No. RSLSA/2016/14636/13, dated 21.01.2016, following instructions are issued to protect the rights of the person in custody and to implement **"The Assistance to Person in Custody Scheme, 2003"** more effectively:-

1. **"Uniform Proforma of Attendance Register"** is hereby prescribed as annexure I for marking attendance of Bail/Remand Advocates in all the Courts where they are appointed. Chairmen, District Legal Services Authorities are hereby directed to ensure that an **Attendance Register** is maintained in each and every Court for marking attendance of the Bail/Remand Advocates with a direction to ensure that each Bail/Remand Advocate mark his attendance in the register twice a day at following times:-

Timing of the Court	Timing of marking first attendance	Timing of marking second attendance
07.30 a.m. to 01.00 p.m.	08.00 a.m.	12:30 p.m.
10.00 a.m. to 05.00 p.m.	10:30 a.m.	04:30 p.m.

2. The Bail/Remand Advocates are not able to represent the detainee effectively because they neither have an opportunity to interact with the detainee nor have copy of FIR, Remand application and arrest memo. Therefore, before passing the order, the presiding officers of the Courts shall ensure that an opportunity to interact with detainee and the copy of the above mentioned documents have been provided to the bail/ remand advocate.

3. There is lawful need to fix remand hours. Therefore it is enjoined upon all the Presiding Officers that as far as possible, they may fix remand hour in their courts looking to the nature of work and circumstances of their court, preferably, 02:00 p.m. to 03:00 p.m. in 10:00 a.m. to 05:00 p.m. Courts hours and 11:00 a.m. to 12:00 p.m. in morning hour Court time. It is also pertinent that if the detainee is produced in Court before or after the remand hour, the Reader of the Court shall be duty bound to inform the Bail/Remand Advocate about the production of accused in the Court. The concerned Presiding Officers are free to discharge other works during the bail/ Remand hour.

4. The name and the mobile number of Bail/Remand Advocates shall be displayed at conspicuous place in the Court premises so that the eligible detainee/his relative may contact with the Bail/Remand Advocate easily.

5. This Authority has proposed the format of three following applications:-

i. Application for receiving copy of FIR, arrest memo and remand application.
ii. Application for medical examination of accused under Section 54 of Cr.P.C.
iii. Application for Bail under Section 437 Cr.P.C.

These formats are attached as annexure-II, III and IV. The Bail/Remand Advocates may use these formats as per their requirements.

6. The Bail/Remand Advocates are directed to submit their report in prescribed proforma latest by 5th Day of next month and the Full Time Secretaries are directed to expedite the payment of honorarium timely.

This order is issued on this 30th Day of August0, 2017 under my signature and seal of this office as per direction of Hon'ble Executive Chairman Sb., RSLSA with the previous approval of Hon'ble Chief Justice, Rajasthan High Court & Patron-in-Chief, Rajasthan State Legal Services Authority.

By Order

30/8/17

(S.K. Jain)
Member Secretary
Rajasthan State Legal Services Authority
Jaipur

No. F-2 (02)/RSLSA/DS-I/Format/2016/17939-17991 Date: -30.08.2017

Copy forwarded to following for information and necessary action:-

1. The Registrar cum Principal Secretary to Hon'ble the Chief Justice, Rajasthan High Court & Patron-in-Chief, Rajasthan State Legal Services Authority.
2. Private Secretary to Hon'ble the Executive Chairman Sb., Rajasthan State Legal Services Authority, Jaipur.
3. Private Secretary to Hon'ble Chairman, Rajasthan High Court Legal Services Committee, Jaipur/Jodhpur.
4. Registrar General, Rajasthan High Court, Jodhpur.
5. Member Secretary, National Legal Services Authority, New Delhi.
7. Private Secretary to Member Secretary, Rajasthan State Legal Services Authority.
8. Chairman, DLSAs, All Rajasthan.
9. Full Time Secretary, Rajasthan High Court Legal Services Committee, Jaipur/ Jodhpur.
10. Deputy Secretary-I, Deputy Secretary-II, Deputy Secretary (AP & ADR), Deputy Secretary-Administration (Non-Judicial), RSLSA.
11. Deputy Secretary, RSLSA, Jodhpur.
12. Administrative Officer, RSLSA.
13. Establishment Section, RSLSA.
14. Account Section, RSLSA, Jaipur.
15. Reserve File/Guard File.

30.8.2017

(Nihal Chand, RJS)
Deputy Secretary-I
Rajasthan State Legal Services Authority,
Jaipur (Raj.)

Annexure-I

Uniform Proforma for Attendance Register for Bail/Remand Advocates

Name of District Legal Services Authority, ...

Name of Court.....

Name of Bail/Remand Advocate: Sh./Smt.....
Mobile No....., Telephone No.....
Email Address:.....
Address:

Date	**Signature of Remand Advocate at 10:30 a.m./08:00 a.m.**	**Signature of the Remand Advocate at 04:30 p.m./12:30 p.m.**	**Description of the Work done**
01.08.2017			
02.08.2017			
03.08.2017			
04.08.2017			
05.08.2017			

Annexure-II

न्यायालय श्रीमान.....

प्रार्थी/प्रार्थिया नाम बनाम सरकार

एफ.आई.आर. संख्या ...../2017
पुलिस थाना .....,जिला.....
अन्तर्गत धारा .....

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत अनुच्छेद 22 (1) एवं (2) भारत का संविधान एवं धारा 50, 50क, 55 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973

महोदय,

उपरोक्त अनुवानी प्रकरण में प्रार्थी/प्रार्थिया ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ....., जाति ....., निवासी ..... की ओर से निवेदन इस प्रकार हैः–

1. यह कि प्रार्थी/प्रार्थिया को उक्त प्रकरण में पुलिस थाना ..... द्वारा गिरफ्तार किया गया है।
2. यह कि मुझ अधिवक्ता को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ..... द्वारा इस न्यायालय में बेल/रिमाण्ड अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है तथा उन व्यक्तियों की तरफ से पैरवी करने के लिए निर्देशित किया गया है जिनकी तरफ से कोई अधिवक्ता उपलब्ध नहीं हो।
3. यह कि मुझ अधिवक्ता को प्रार्थी/प्रार्थिया के रिमाण्ड/जमानत की स्टेज पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने एवं उसकी ओर से अधिवक्ता के रूप में पैरवी करने का अधिकार प्राप्त है। अतः मुझे इस अवस्था से विचारण पूर्ण होने तक उसकी तरफ से पैरवी करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करे।
4. यह कि मुझे अभी तक इस प्रकरण के बारे में दस्तावेजों के अभाव में कोई जानकारी नहीं है। अतः राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये परिपत्रों के अनुसरण में मुझे प्रथम सूचना रिपोर्ट, फर्द गिरफ्तारी तथा रिमाण्ड प्रार्थना पत्र का अवलोकन करने का समुचित अवसर दिया जाये या यदि संभव हो तो मुझे इन तीनों दस्तावेजों की प्रतियाँ उपलब्ध कराई जाये, जिससे मैं मुलजिम की तरफ से अपना पक्ष माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकूं।
5. यह भी निवेदन है कि मुझे अभियुक्त से विचार–विमर्श करने, तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने एवं आरोपित अपराध के संबंध में मुलजिम से जानकारी प्राप्त करने हेतु समुचित अवसर प्रदान किया जाये, जिससे मैं उसकी तरफ से अपना पक्ष माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकूं। इस संदर्भ में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा स्थायी परिपत्र भी जारी किया गया है।

अतः माननीय न्यायालय से विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर इस संबंध में उचित आदेश पारित करने की कृपा करे।

सादर

दिनांक

भवदीय

प्रार्थी/प्रार्थिया नाम .....
पिता का नाम .....
पता .....
मोबाईल/टेलीफोन नं0 .....
जरिये बेल/रिमाण्ड अधिवक्ता
हस्ताक्षर .....
नाम .....
मोबाईल/टेलीफोन नं0 .....

Annexure-III

न्यायालय श्रीमान.....

प्रार्थी / प्रार्थिया नाम बनाम सरकार

एफ.आई.आर. संख्या ..... / 2017
पुलिस थाना .....
जिला .....
अन्तर्गत धारा .....

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 54 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973</u>

महोदय,

उपरोक्त अनुवानी प्रकरण में प्रार्थी / प्रार्थिया ..... पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री ....., जाति ....., निवासी ..... की ओर से निवेदन इस प्रकार है:–

1. यह कि प्रार्थी / प्रार्थिया को उक्त प्रकरण में पुलिस थाना ..... द्वारा गिरफ्तार किया गया है।
2. यह कि मुझ अधिवक्ता को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ..... द्वारा इस न्यायालय में बेल / रिमाण्ड अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है तथा उन व्यक्तियों की तरफ से पैरवी करने के लिए निर्देशित किया गया है जिनकी तरफ से कोई अधिवक्ता उपलब्ध नहीं हो।
3. यह कि मुझ अधिवक्ता को प्रार्थी / प्रार्थिया के रिमाण्ड / जमानत की स्टेज पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने एवं उसकी ओर से अधिवक्ता के रूप में पैरवी करने का अधिकार प्राप्त है। अतः मुझे इस अवस्था से विचारण पूर्ण होने तक उसकी तरफ से पैरवी करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करे।
4. यह कि अभियुक्त द्वारा मुझे इस तथ्य से अवगत कराया गया है कि अभी तक दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 54 के अंतर्गत मुलजिम का मेडिकल मुआयना अनुसंधान अधिकारी द्वारा नहीं करवाया गया। अतः निवेदन है कि मुलजिम का नियमानुसार मेडिकल मुआयना करवाया जाकर उस रिपोर्ट की एक प्रति अभियुक्त को उपलब्ध कराई जाये।

अतः न्यायालय से विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी / प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर इस संदर्भ में उचित आदेश पारित करने की कृपा करे।

सादर

दिनांक भवदीय

प्रार्थी / प्रार्थिया नाम .....
पिता का नाम .....
पता .....
.....
मोबाईल / टेलीफोन नं0 .....

जरिये बेल / रिमाण्ड अधिवक्ता

हस्ताक्षर .....
नाम .....
मोबाईल / टेलीफोन नं0 .....

Annexure-IV

न्यायालय श्रीमान.....

प्रार्थी/प्रार्थिया नाम **बनाम** सरकार

एफ.आई.आर. संख्या ...../2017
पुलिस थाना .....
जिला .....
अन्तर्गत धारा .....

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 437/439 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973

महोदय,

उपरोक्त अनुवानी प्रकरण में प्रार्थी/प्रार्थिया ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ....., जाति ....., निवासी ..... की ओर से निवेदन इस प्रकार है:–

1. यह कि प्रार्थी/प्रार्थिया को उक्त प्रकरण में पुलिस थाना ..... द्वारा गिरफ्तार किया गया है।
2. यह कि मुझ अधिवक्ता को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ... द्वारा इस न्यायालय में बेल/रिमाण्ड अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है तथा उन व्यक्तियों की तरफ से पैरवी करने के लिए निर्देशित किया गया है जिनकी तरफ से कोई अधिवक्ता उपलब्ध नहीं हो।
3. यह कि मुझ अधिवक्ता को प्रार्थी/प्रार्थिया के रिमाण्ड/जमानत की स्टेज पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने एवं उसकी ओर से अधिवक्ता के रूप में पैरवी करने का अधिकार प्राप्त है। अतः मुझे इस अवस्था से विचारण पूर्ण होने तक उसकी तरफ से पैरवी करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करे।
4. यह कि इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है.....
   .....
   .....
5. यह कि प्रार्थी/प्रार्थिया राजस्थान राज्य के स्थायी निवासी है।
6. यह कि प्रार्थी/प्रार्थिया से इस प्रकरण में कोई बरामदगी शेष नहीं है।
7. यह कि प्रार्थी/प्रार्थिया से अनुसंधान पूर्ण हो चुका है।
8. यह कि प्रार्थी/प्रार्थिया के विरूद्ध आरोपित अपराध मृत्युदण्ड अथवा आजीवन कारावास से दण्डनीय नहीं है।
9. यह कि प्रार्थी/प्रार्थिया माननीय न्यायालय के आदेशानुसार जमानत मुचलके पेश करने हेतु तैयार है।
10. यह कि प्रकरण के विचारण में समय लगने का आशंका है।

अतः माननीय न्यायालय से विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर इस संबंध में उचित आदेश पारित करने की कृपा करे।

सादर,

भवदीय

दिनांकः

प्रार्थी/प्रार्थिया नाम .....
पिता का नाम .....
पता .....
.....
मोबाईल/टेलीफोन नं0 .....

जरिये बेल/रिमाण्ड अधिवक्ता

हस्ताक्षर .....
नाम .....
मोबाईल/टेलीफोन नं0 .....